



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 463 औ०सं०/उनिलि/2017-53/औ०सं०/2017

दिनांक : 18 जुलाई, 2017

- (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11)
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह
(सोनभद्र)/(सोनभद्र)/(झाँसी)/(कासिमपुर-अलीगढ़)/(कानपुर) ।
- (2) सचिव, उत्पादन सेवा आयोग ।
- (3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
- (4) मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन/ईंधन/नव परियोजना(1/11)/आर०एण्डएम०
वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा) उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ ।
- (5) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-04/05/रिफार्म) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) उपसचिव (मा०सं०-01/03) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) अधिशासी अभियन्ता (मा०सं०-02/प्रगति/प्रशिक्षण) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।


विषय:- उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव ऊर्जा के अधिसूचना सं० 4/2017/1070/24-पी-2-17-1(121)/04 दिनांक 04.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करना चाहे, जिसके अनुसार सूचित किया है कि उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सहित सभी ऊर्जा निगमों के आधीन संमस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दिया है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यद्योपरि ।

भवदीय,

(मो० तस्नीम)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
2. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।

(मो० तस्नीम)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2

फंजी सं. 446/सी.डी. (17)
पत्र सं. (53)
क्रम सं.

संख्या:- 4 / 2017 / 1070 / 24-पी-2-17-1(121) / 04
लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2017

अधिसूचना
आदेश

122-VIP
07/07/2017

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी, केरको, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

CECHRY
K

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र०शा०वि०उ०नि० वि०

संख्या:- 4 / 2017 / 1070(1) / 24-पी-2-17-1(121) / 04, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.07.2017 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिन्मियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4 /2017/1070/24-P-2-2017-1(121)/2004, dated 04 - 07-2017.

**UTTAR PRADESH SHASAN
OORJA ANUBHAG-2**

**NO. 4 /2017 /1070/24-P-2-2017-1(121)/04
Dated, Lucknow: 04 -07-2017**

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,



**(ALOK KUMAR)
PRINCIPAL SECRETARY**

संख्या:- 4/2017/1070(2)/24-पी-2-17-1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- ✓ (2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- (7) सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
- (8) विधायी अनुभाग-1
- (9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कम्पनी (केस्को), कानपुर।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- (12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- (13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- (14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- (15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(एन०एच० रिजर्वी)
विशेष सचिव।

2